E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 2569 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, मई 09 ,2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत खण्डोलिया खेत से कौला पुलटण्डा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.450 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/143491/2021**

सन्दर्भ– **आपका पत्रांक 2425/ FP/UK/ROAD/143491/2021 दिनॉक 11.04.2022**

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 3608/12–1 दिनॉक 06.05.2022 से अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में त्रुटियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग एवं प्रभागीय कार्यालय द्वारा निम्नप्रकार किया गया हैः–

क्र.	प्रश्न	उत्तरालेख
1	विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दु संख्या–5 की आख्या/सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जो कि परिपूर्ण रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अवगत कराना है कि बिन्दु संख्या–5 के क्रम में पेडो की गणना 7 मीटर एवं 9 मीटर ROW एवं मोटर मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में करते हुये कुल प्रभावित पेड़ो की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।	प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्रांक 1273/21 सी0 दिनॉक 05.05.2022 **(संलग्न)** से प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग को अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना बिन्दु सं0–5 के सम्बन्ध में विषयांकित मोटर मार्ग के समरेखणान्तर्गत वास्तविक रूप से पेड़ो की गणना 7 मीटर चौड़ाई में ही की गई है, 9 मी0 चौडाई में पेड़ो की गणना नहीं की गई है। 9 मी0 चौड़ाई में पेड़ो की सूची उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, त्रुटिवश 9 मी0 चौड़ाई लिखी गई थी, वास्तव में गणना 7 मी0 चौड़ाई में की गई है। वृक्षों का व्यासवार विवरण प्रभागीय कार्यालय द्वारा पार्ट–।। के पैरा 4 के (ii) में पूर्व में ही ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है जिसकी हार्ड प्रति पुनः पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि (3 प्रतियों में)

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,पौड़ी।

JAIDEEP

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,लैन्सडौन(गढ़वाल)।

E Mail ID:- eepwdlansdowne@gmail.com. & eepwdlansdowne@rediffmail.com. Phone/Fax : (01386)262260

पत्रांक 1273 /21C दि0 5-5-22

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

विषय :— **जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत खण्डोलिया खेत से कौला – पुलटण्डा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.450है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :— **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, का पत्रांक 2425/FP/UK/ROAD/143491/2021 देहरादून दिनांक 11 अप्रेल, 2022 व वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी का पत्रांक 2455/12—1 दिनांक पौड़ी 26.04.2022 एवं आपका पत्रांक 3547/12—1 दिनांक 04.05.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना बिन्दू सं0 – 5 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग के समरेखणान्तर्गत वास्तविक रूप से पेड़ो की गणना 7 मीटर चौडाई में ही की गई है। 9.00 मीटर चौडाई में पेड़ों की गणना नहीं की गई है।

अतः 9.00 मीटर चौडाई में पेड़ों की सूची उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है, त्रुटिवश 9.00 मीटर चौडाई लिखी गयी थी, वास्तव में गणना 7.00 मीटर चौडाई में ही की गई है जिसकी सूची संलग्न की जा रही है।

भवदीय,

5/5/22

अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
लैन्सडौन गढ़वाल

पत्रांक / दि0—

प्रतिलिपि:— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 लैन्सडौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
लैन्सडौन गढ़वाल

Amin 4

<u>प्रारूप–19</u>

परियोजना का नाम– खडोलिया खेत से कौला–पुलटन्डा मोटर मार्ग (4.00 किमी)।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनॉक 07/01/2020 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गयी व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की भूमिवार/प्रजातिवार/व्यासवार विवरण निम्न प्रकार है।

क्र स	भूमि का प्रकार	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास–वर्ग सेमी0					योग
				10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	
1	वन पंचायत कौला	चीड हरा खडा	Pinus roxburghii	04	31	20	14	04	73

(दिपसिंह (वन) वन दरोगा)

वन क्षेत्राधिकारी,
दीवा रेंज धुमाकोट।

30/1/2020

अपर सहायक अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,
लैन्सडौन (गढ़वाल)।

सहायक अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,
लैन्सडौन (गढ़वाल)।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,
लैन्सडौन (गढ़वाल)।

तहसीलदार
धुमाकोट

(राजस्व उप निरीक्षक)
पट्टी ... -5
तहसील ...
जिला ...

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड,लो0नि0वि0

उपजिलाधिकारी
धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल उप वन प्रभाग पौड़ी

जिलाधिकारी
गढ़वाल

(33)

प्रारुप–21

कार्य का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला –पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) किमी0।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1	वन पंचायत ग्राम– कौला तल्ला	73	73	मार्ग के स्वीकृत सरेखण में गणना किये गये वृक्षों की संख्या वास्तविक है, जिनका पातन अपरिहार्य है।
	कुल योग :–	73	73	

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले 10–20 व्यास वर्ग के 04 वृक्ष 20–30 व्यास वर्ग के 31 वृक्ष, ,30–40 व्यास वर्ग के 20 वृक्ष, 40–50 व्यास वर्ग के 14 वृक्ष एवं 50–60 व्यास वर्ग के 04 वृक्ष विद्यमान हैं। अर्थात वास्तविक रूप से केवल 73 वृक्षों का ही पातन किया जाना अपरिहार्य है।

जिलाधिकारी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता प्रा० ख० लो०नि०वि० लैन्सडौन (गढ़वाल)

राजि अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड,लो०नि०वि० लैन्सडौन

वन क्षेत्राधिकारी दीवा रेंज धुमाकोट

(रतिभान) राजस्व उपनिरीक्षक पट्टी..... तहसील ...धुमाकोट

तहसीलदार धुमाकोट

उपजिलाधिकारी धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी गढ़वाल (उ० ख०)

उप वन संरक्षक गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी